

प्रेस नोट दिनांक 29.07.21

सराहनीय कार्य थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत पीलीभीत

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पूरनपुर के पर्यवेक्षण में थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र ,रोकथाम जुर्म जरायाम व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अभियान के अन्तर्गत चोरी के दो नफर अभियुक्तगणों को मय माल मुकदमाती के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत श्रीमान मा० न्याया० भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग

- मु०अ०स० 130/2021 धारा 380/457/411 भादवि
- मु०अ०स० 134/2021 धारा 380/457/411 भादवि
- मु०अ०स० 154/2021 धारा 380/411 भादवि

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण

1. जितेन्द्र पुत्र विट्टू उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम जोगराजपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत
2. गोपाल पुत्र हेमराज उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जोगराजपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री आशुतोष रघुवंशी
2. 30नि० श्री देवेन्द्र सिंह
3. 30नि० श्री पवन कुमार
4. 30नि० श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
5. का० 315 वसीम अहमद
6. का० 024 सोरभ शर्मा

विवरण बरामदगी

एक लोहा धातु का बाट 20 Kg, एक लोहा धातु की बनी आयताकार ठोस सिल्ली जो कि मु0अ0स0 154/2021 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित है। एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिब्बा जिसमें PULS टॉफी भरी हुई व एक पारदर्शी शील पन्नी जिसमें PARLE बिस्कुट के 24 पैकेट है व एक पारदर्शी शील्ड पन्नी जिसमें BUTTER DELITE के 10 पैकेट एक पारदर्शी प्लास्टिक शीशी हल्के पीले रंग का द्रव्य व एक डिर्जेन्ट पाउडर सुपर व्हाईट विदिशा डिर्जेन्ट पाउडर व 05 अदद साबून की टिक्की घड़ी डिर्जेन्ट जो मु0अ0स0 134/2021 धारा 380/457/411 भादवि से सम्बन्धित माल मुकदमाती है व जामा तलाशी में जितेन्द्र पुत्र विट्टू की पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से रुपये 3540/ बरामद हुए जिसमें 500 रुपये 500 रुपये के 05 नोट व 100 रुपये के 09 नोट व 50 रुपये के 02 नोट तथा 20 रुपये के 02 नोट है तथा गोपाल पुत्र हेमराज की पहनी पैन्ट की बायी जेब से रुपये 2100/ बरामद हुए जिसमें 500 रुपये के 03 नोट व 100 रुपये के 04 नोट तथा 50 रुपये के 04 नोट बरामद हुए उक्त धनराशि के बारे में पूछा गया तो यह राशि ग्राम बरगदिया में घर से चोरी हुए माल को बेचकर शेष धनराशि बतायी जो थाना हाजा पर मु0अ0स0 130/2021 धारा 380/457/411 आईपीसी से सम्बन्धित है।